राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद

डॉ. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–4, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2704640 E-mail: girlsdeptt.rcse@gmail.com

RCSE

क्रमांक:रामाशिप/जयपुर/शा.बा.छात्र/2017–2018/370 दिनांक 17/01/2018

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक रामाशिअ,
जिला–बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर,
नागौर, पाली, राजसमन्द एवं सिरोही

विषय – विद्यालयों में बालिका संवेदी वातावरण निर्माण, बालिकाओं का अधिकाधिक नामांकन और ठहराव हेतु समस्त माध्यमिक/उ. माध्यमिक विद्यालयों में गार्गी मंच के गठन एवं संचालन हेतु दिशा निर्देश।

राज्य में आठवीं कक्षा में अध्ययनरत सभी बालिकाएं विभिन्न कारणों से प्रायः माध्यमिक स्तरीय शिक्षा से नहीं जुड़ पाती हैं। इससे माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का एक हिस्सा स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित हो जाता है। ग्रामीण परिक्षेत्र में जैसे ही बालिका का स्कूल से साथ छूटता है, वहीं उसके विवाह होने की संभावनाएं अधिकाधिक हो जाती हैं जो अन्य सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, मानसिक चुनौतियों को जन्म देती है। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षक, किशोर–किशोरियाँ, पंचायत प्रतिनिधि, अभिभावक एवं समुदाय एक साथ बालिकाओं के नामांकन और ठहराव पर सकारात्मक प्रयास करें, विशेषकर उनकी विद्यालय तक पहुँच को सुरक्षित व सुगम बनाने और विद्यालय वातावरण सहज एवं संवेदनशील बनाने में अहम भूमिका अदा करें।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय को माध्यमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए निम्नलिखित परिणामों को प्राप्त करना होगा –

1. विद्यालय परिक्षेत्र की कक्षा 8 उत्तीर्ण समस्त छात्राएं का कक्षा 9 में शतप्रतिशत दाखिला करना।
2. कक्षा 9 से 12 में कम से कम 90 प्रतिशत बालिकाओं की सत्रपर्यन्त ≥75 प्रतिशत उपस्थिति हो।
3. विद्यालय को बालिकाओं के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु सुविधाओं एवं नियमों की अनुपालना।
4. विद्यालय में बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण देना एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करना।
5. कक्षा 9 में नामांकित समस्त बालिकाओं की 4 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा शिक्षा पूरी करना।
6. परिक्षेत्र की ड्रॉप आउट बालिकाओं को शारदे बालिका छात्रावास से जोड़ना।

समस्त विद्यालय उक्त उद्देश्यों को प्राप्त कर पाये, इस हेतु बालिकाओं के साथ संवाद और उनकी सहभागिता अत्यावश्यक है। इसी आवश्यकता को पूरी करने और बालिका शिक्षा को **पीयर–सपोर्ट** के माध्यम से प्रोत्साहित करने के लिए **गार्गी मंच का गठन किया जाये।** सभी विद्यालय, कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं और बालकों को नियमानुसार जोड़कर, गार्गी मंच का गठन कर इसका संचालन करेंगे और बालिका शिक्षा संबंधी गतिविधियों में गार्गी मंच को सम्मिलित करेंगे। **गार्गी मंच स्थायी मंच होगा जो प्रत्येक वर्ष पुनर्गठित किया जायेगा।** बाल अधिकार एवं बालिका शिक्षा हेतु वर्ष भर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मंच को सक्रिय रखा जाये। गार्गी मंच की सक्रियता की जिम्मेदारी संस्थाप्रधान एवं समस्त शिक्षकों पर संयुक्त रूप से होगी।

www.rajteachers.com

1. गार्गी मंच का गठन एवं संचालन

गार्गी कौन है?

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मीना मंच सक्रिय है जिसे मीना के चरित्र एवं व्यवहार से जोड़ा गया है। मीना युनिसेफ द्वारा विकसित स्थानीय लड़की का एक काल्पनिक चित्र है जो होशियार एवं हाजिरजवाब बालिका है और वह हर प्राकर की समस्याओं और सामाजिक बाधाओं के विरुद्ध लड़ने का जज्बा रखती है।

माध्यमिक स्तर पर गार्गी वह बालिका है जो मीना की भांति अपनी शिक्षा एवं सहपाठियों की स्कूली शिक्षा पूरी करने हेतु प्रयासशील है। वह समस्या समाधान हेतु तत्पर रहती है एवं किसी से बातचीत करने और सहायता मांगने में हिचकिचाती नहीं है परिवार की कुप्रथाओं, अन्धविश्वास एवं सामाजिक बुराईयों का विरोध करती है एवं ''यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' की अवधारणा तथा एक नारी की शिक्षा को एक परिवार की शिक्षा मानती है तथा स्कूल, परिवार एवं समाज में अपना गरिमापूर्ण स्थान बनाने हेतु प्रयासरत है।

गार्गी मंच का उद्देश्य

गार्गी मंच बालिकाओं में आत्मविश्वास को बढ़ाने, अपनी समझ से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने, अपनी विद्यालय में सहभागिता सुनिश्चित करना एवं समग्र रूप से जीवन कौशल का विकास करने का माध्यम है। इस सत्र में गार्गी मंच बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव हेतु सक्रिय रहेगा जिससे बालिकाएं अपनी प्रारंभिक शिक्षा पश्चात चार साल की माध्यमिक शिक्षा को पूरी करें और आगे आत्मनिर्भर बन सकें। इस हेतु बालिकाएं–

- नामांकन एवं ठहराव को कुप्रभावित करने वाले सामाजिक एवं जेण्डर पूर्वाग्रहों पर चर्चा करेंगी।
- विद्यालय वातावरण को बालिकाओं हेतु सुरक्षित बनाना हेतु खुली चर्चा करेंगी।
- संस्थाप्रधान द्वारा उपलब्ध कराये गये अवसरों पर अपने मंच के माध्यम से अपने एवं अपने सहपाठियों के मत/विचारों को अभिव्यक्त कर पायेंगी।
- माध्यमिक शिक्षा पूरी करने, उच्च शिक्षा जारी रखने और विकास के विकल्पों पर चर्चा करेंगी।
- समाज में नारी की प्रमुख भूमिका के संदर्भ में समझ विकसित करना।

गार्गी मंच का गठन

समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गार्गी मंच गठन निम्नानुसार किया जायेगा–

1. गार्गी मंच 23 सदस्यों का एक समूह होगा जो कि मंच की गतिविधियों का संचालन करेगा। उक्त 23 सदस्यों में से 15 सदस्य बालिकाएं होंगी और 8 सदस्य बालक होंगे।
2. उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गार्गी मंच के लिए कक्षा 8 से 12 की प्रत्येक कक्षा की तीन छात्राएं, कुल 15 बालिकाएं चयन की जावेगी। जो कि प्रत्येक कक्षा हेतु ***शाला–सखी*** कहलायेंगी। शेष 8 छात्र सदस्य कक्षा 9 से 12 में प्रत्येक कक्षा से 2–2 होंगे जो कि गार्गी मंच के ***शाला–सखा*** के रूप में जाने जायेंगे। इन सदस्यों (***शाला–सखी व शाला–सखा***) का चयन कक्षा के समस्त छात्र–छात्राओं द्वारा किया जायेगा। कक्षा में समन्वयन, निर्णय लेने एवं कार्यों के निर्वहन हेतु इनमें से प्रत्येक सदस्य दो माह हेतु समन्वयक का कार्य करेगा।

   नोट – चूंकि गार्गी मंच बालिकाओं को विचार अभिव्यक्त करने और समस्याओं का सामूहिक समाधान ढूढ़ने के अवसर प्रदान करना है, अतः सैद्धान्तिक रूप से विद्यालय की समस्त छात्राएं इसकी सदस्य होंगी और मंच की समस्त गतिविधियों में सम्मिलित की जायेंगी।

कक्षा 8	कक्षा 9	कक्षा 10	कक्षा 11	कक्षा 12
• 3 छात्रा शाला सखी	• 3 छात्रा शाला सखी • 2 छात्र शाला सखा	• 3 छात्रा शाला सखी • 2 छात्र शाला सखा	• 3 छात्रा शाला सखी • 2 छात्र शाला सखा	• 3 छात्रा शाला सखी • 2 छात्र शाला सखा

www.rajteachers.com

माध्यमिक विद्यालयों में गार्गी मंच के लिए कक्षा 8 से 10 की प्रत्येक कक्षा की पांच छात्राएं, कुल 15 बालिकाएं चयन की जावेगी। जो कि प्रत्येक कक्षा हेतु ***शाला–सखी*** कहलायेंगी। शेष 8 छात्र सदस्य कक्षा 9 से 10 में प्रत्येक कक्षा से 4–4 होंगे जो कि गार्गी मंच के ***शाला–सखा*** के रूप में जाने जायेंगे। इन सदस्यों (***शाला–सखी व शाला–सखा***) का चयन कक्षा के समस्त छात्र–छात्राओं द्वारा किया जायेगा। कक्षा में समन्वयन, निर्णय लेने एवं कार्यों के निर्वहन हेतु इनमें से प्रत्येक सदस्य दो माह हेतु समन्वयक का कार्य करेगा।

कक्षा 8	कक्षा 9	कक्षा 10
• 5 छात्राएं शाला सखी	• 5 छात्राएं शाला सखी • 4 छात्र शाला सखा	• 5 छात्राएं शाला सखी • 4 छात्र शाला सखा

3. उक्त 23 सदस्यीय गार्गी मंच का स्कूल में नेतृत्व करने हेतु अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। चुनाव का माध्यम इसलिए चुना गया है जिससे बच्चों में लोकतन्त्र एवं इसके मूल्यों की भी समझ बढ़े। ध्यान दें कि **गार्गी मंच का अध्यक्ष छात्रा ही होगी।** जबकि उपाध्यक्ष छात्र अथवा छात्रा में से कोई भी हो सकेगा।
4. उक्त 23 सदस्यी गार्गी मंच में कक्षा 8 की छात्रा इस उद्देश्य से रखी गयी है कि कक्षा 8 के बाद संभावित ड्रॉपआउट को रोकने हेतु कक्षा 8 की बालिकाओं को संवाद में शामिल किया जा सके।
5. गार्गी मंच में उक्त प्रस्तावित 23 सदस्यों के अतिरिक्त विद्यालय परिक्षेत्र में आने वाले समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 8 से 2–2 बालिकायें भी गार्गी मंच की नामित सदस्य होंगी जो कि मंच के कार्यक्रमों में सहभागी होंगी तथा अपने विद्यालय में गार्गी मंच का प्रतिनिधित्व करेगी और बालिकाओं के ट्रांजिशन पर सहयोग करेगी। ये बालिकाएं **शाला सहेली** के नाम से जानी जायेगी। गार्गी मंच की बैठकों तथा गतिविधियों में सहभागिता करने हेतु शाला सहेली अपने विद्यालय की महिला शिक्षिका (सुगमकर्ता) के साथ जायेगी।
6. गार्गी मंच के 23 सदस्यों के अतिरिक्त विद्यालय परिक्षेत्र से किशोर वयवर्ग की किसी दो ड्रॉपआउट बालिका को **आमंत्रित सदस्य** के रूप में मनोनीत किया जा सकेगा। इस हेतु सुगमकर्ता एवं गार्गी मंच संयुक्त रूप से चर्चा कर निर्णय लेंगे। साथ ही यह भी निर्भर करेगा कि विद्यालय परिक्षेत्र में आउट ऑफ स्कूल बालिकाएं कितनी हैं और नामांकन में जेण्डर गैप कितना है।
7. गार्गी मंच के सदस्यों के चयन में प्रारम्भ में उन बालिकाओं को प्राथमिकता दें जो पूर्व में उ0प्रा0 विद्यालयों में मीना मंच से जुड़ी रहीं अथवा वे बालिकाएं जो की सक्रिय हैं और विद्यालय के अन्य बालिकाओं/समुदाय से चर्चा करने एवं अभिव्यक्त करने में पहल करती हों।
8. गांव में महिला पंचायत प्रतिनिधि/पंच को भी गार्गी मंच से जोड़े जाने का प्रयास करें
9. गार्गी मंच के संचालन हेतु विद्यालय की एक **महिला अध्यापिका** गार्गी मंच के सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान करेगी जो कि **सुगमकर्ता कहलायेगी।** विद्यालय में महिला अध्यापिका की अनुपलब्धता होने की अवस्था में ही पुरुष अध्यापक को सुगमकर्ता का दायित्व दिया जा सकेगा।

सुगमकर्ता एवं संस्थाप्रधान द्वारा गार्गी मंच को मार्गदर्शन हेतु पृथक–पृथक दायित्व

1. <u>सुगमकर्ता का दायित्व होगा कि –</u> गार्गी मंच हेतु प्रस्तावित नामांकन अभियान एवं मासिक बैठकों व चर्चाओं हेतु मंच के सदस्यों को सहयोग देगी। साथ ही विद्यालय के समस्त छात्र–छात्राएं गार्गी मंच की गतिविधियों से जुड़े, इस हेतु नियोजन करेगी और गार्गी मंच को प्रोत्साहित करेगी। विशेष रूप से, सुगमकर्ता निम्नलिखित कार्यों का निर्वाहन करेगी –
   - गार्गी मंच के गठन में सहयोग करें।

www.rajteachers.com

- गार्गी मंच के सदस्य चुनने में सहयोग करें।
- गार्गी मंच की सदस्यों को समझाएं कि उन्हें क्या और कैसे करना है।
- चर्चाओं को शुरूआती दौर में आयोजित कर सीखायें कि वे कैसे विषय–वस्तु से जुड़ कर वार्ता करें और स्कूल के सभी बालक–बालिकाओं को उसमें सहभागी करवायें।
- कार्यक्रम अथवा चर्चाओं को सार्थक बनाने हेतु संबंधित विषय सामग्री प्राप्त करने हेतु सहयोग करें।
- मंच की बालिकाओं को स्कूल में और समुदाय में होने वाली गतिविधियों की योजना बनाने और उसके संचालन में मार्गदर्शन दें।
- मंच की बालिकाओं को प्रोत्साहित करें कि वे अपनी प्रतिभा और प्रयासों को स्कूल से बाहर प्रदर्शन कर सकें और बदलाव के लिये किये जाने वाले प्रयासों को बढ़ावा दें।
- मंच के सराहनीय कार्यों को स्कूल एवं समुदाय में प्रोत्साहित करें।
- संस्थाप्रधानों के दिशा निर्देशानुसार गार्गी मंच को प्रभावी बनाना।

2. <u>संस्थाप्रधान की जिम्मेदारी होगी कि सुगमकर्ता अपना दायित्व पूरा कर सके।</u> संस्थाप्रधान सुगमकर्ता को प्रोत्साहन, मार्गदर्शन, मॉनीटरिंग, सहयोग प्रदान करेगा जिससे की गार्गी मंच प्रभावी ढ़ग से कार्य कर सके। साथ ही गार्गी मंच की समस्त गतिविधियों के संचालन हेतु समस्त व्यवस्थाएं/उपस्थिति/सुविधाओं/सामग्री इत्यादि की व्यवस्था करने का दायित्व संस्थाप्रधान का होगा। साथ ही समय–समय पर बालिकाओं की मांग अनुसार समुदाय में बैठकें आयोजित करना/ बाहर से वक्ताओं/संदर्भ व्यक्तियों को बुला चर्चा करवाना, स्कूल एवं समुदाय में विभिन्न बैठकें आयोजित करवाना इत्यादि का कार्य भी संस्थाप्रधान का होगा।

2. <u>गार्गी मंच हेतु गतिविधियाँ</u>

गार्गी मंच के सदस्य प्रत्येक माह में दो बार अपनी गतिवधियों का संचालन करेंगे, जिस हेतु संस्थाप्रधान विद्यालय समय सारणी में व्यवस्था करेंगे और सुगमकर्ता गतिविधि संचालन में मार्गदर्शन करेगी। गार्गी मंच के सदस्य अपनी गतिविधियों के संचालन में विद्यालय के समस्त अन्य छात्राओं और छात्रों को भी अपने साथ जोड़ेंगे। गार्गी मंच के संचालन हेतु छात्राओं को निम्नांकित विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रोत्साहित किया जाये, जिसका विवरण संलग्न है –

- प्रदेशोत्सव।
- उपस्थिति चार्ट।
- नुक्कड़ नाटक।
- छोटे समूह में चर्चा (उपस्थिति, बाल विवाह, सुरक्षा, बाल श्रम, जेण्डर आधारित भेदभाव, आदि)
- खतरों की पहचान।
- सुरक्षा एवं संरक्षा पर सुगमकर्ता द्वारा चर्चा एवं काउन्सिलिंग (क्रिटिकल डॉयलॉग टूल का उपयोग करें)।
- सकारात्मक एवं नकारात्मक शब्दों की पहचान।
- जीवनयापन, जेण्डर एवं सोच पर शिक्षिकाओं द्वारा नियमित संवाद।
- द्वैमासिक कार्यशालाओं का आयोजन – संस्थाप्रधान विद्यालय में समय–समय पर छात्राओं–छात्रों को बाल अधिकार, जेण्डर संवेदनशीलता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, महावारी स्वच्छता एवं मिथक आदि विषयवस्तु पर जागरूक करने हेतु विशेषज्ञ आमंत्रित कर प्रति दो माह में एक कार्यशाला भी करवायें।

www.rajteachers.com

समस्त गतिविधियां गार्गी मंच पहले स्वयं के स्तर पर कर सीखे और समझे। तत्पश्चात छोटे–छोटे समूहों में (कक्षावार) अन्य साथी बालिकाओं/बालकों के साथ भी करें। गतिविधियों करने से पूर्व एवं पश्चात सुगमकर्ता समूह से चर्चा करे और यह सुनिश्चित करे कि क्या कोई भी ऐसा केस तो नहीं है जिसे शिक्षक/विद्यालय के स्तर से सुलझाये जाने की आवश्यकता है। साथ ही गार्गी मंच के सदस्यों को समय–समय पर पूरा सहयोग, उत्साह एवं मार्गदर्शन प्रदान करे। गार्गी मंच के किये जाने वाले प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु संस्थाप्रधान समय–समय पर विद्यालय स्तरीय समारोहों में अध्यक्ष एवं सदस्यों को सम्मानित करे। इसके अतिरिक्त विद्यालय के बरामदे के एक हिस्से पर गार्गी मंच के अध्यक्ष का नाम समयावधि सहित पेन्ट करवाकर लिखा जाये तथा इसे प्रतिवर्ष आगे बढ़ाया जाये।

3. गार्गी मंच के अन्तर्गत सत्र 2017–18 में किये जाने वाले कार्य एवं वित्तीय प्रावधान

गार्गी मंच की नियमित गतिविधियों के अतिरिक्त सत्र 2017–18 में विद्यालय प्रबंधन द्वारा निम्नलिखित दो गतिविधियों का संचालन समारोह पूर्वक किया जायेगा।

(3.1) राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह का आयोजन

प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया जाता है। सत्र 2017–18 में 24 जनवरी 2018 को समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बालिका शिक्षा समारोह का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें। समारोह में मुख्य तौर पर निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन करवाया जाये –

- राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आधे दिन विद्यालय में समारोह का आयोजन किया जाये। समारोह में छात्राओं की उपलब्धियों, विद्यालय में किये जा रहे सुधारों के साथ–साथ विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया जाये।
- आयोजन की पूरी योजना गार्गी मंच के द्वारा की जाये। योजनानुसार संस्थाप्रधान पूरे कार्यक्रम को साकार रूप देने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम में मंच संचालन संबंधी कार्य भी छात्राओं को दिये जायें।
- आयोजन में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन एवं बाल अधिकारों पर स्लोगन तख्तियों पर लिखे जायें जिसे विद्यालय में समारोह के स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।
- बाल अधिकारों, बालिका शिक्षा और जेण्डर संबंधी मुद्दों पर कम से कम दो नाटकों का आयोजन भी गार्गी मंच के माध्यम से किया जाये।
- समारोह में वाद–विवाद, चित्रकला, रंगोली, खेलकूद आदि प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा सकेगा।
- बालिकाओं द्वारा सीखी गयी आत्मरक्षा प्रशिक्षण का भी प्रदर्शन किया जाये।
- समस्त बच्चों को बालिका शिक्षा प्रोत्साहन एवं विविध योजनाओं, बाल अधिकारों पर जानकारी देने हेतु पम्पलेट प्रिन्ट करवाकर दिये जायें।
- पम्पलेट में बालिका शिक्षा स्लोगन भी दिये जा सकेंगे। पम्पलेट की प्रिन्ट सामग्री संदर्भ हेतु संलग्न है। विद्यालय पम्पलेट के साथ अपने स्कूल की रोल मॉडल की जानकारी भी उपलब्ध करा सकता है।
- बच्चों को स्वयं पढ़ने, घर के सदस्यों और अपने साथियों को पढ़ाने और स्वयं के साथ रखने हेतु कहा जाये।
- समस्त अभिभावकों को समारोह में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया जाये।
- सामारोह में आधा समय अभिभावकों के साथ चर्चा का रखा जाये। जिसके दौरान अभिभावकों को विद्यालय के छात्राओं की उपलब्धियों पर चर्चा की जाये। उपलब्धियों में विद्यालय से निकले रोल मॉडल को भी सम्मिलिति किया जाये।
- समारोह में नियमित विद्यालय आने वाली छात्राओं के अभिभावकों को सम्मानित किया जाये।
- समारोह में अभिभावकों से विद्यालय को बालिका संवेदी बनाने हेतु सुझाव मांगे जाये और उसका रिकार्ड भी संधारित हो।
- राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस समारोह का आयोजन विद्यालय समय के आधे अवधि में समस्त विद्यालयों में किया जाये।

वित्तीय प्रावधान:– बालिका दिवस समारोह के आयोजन हेतु अधिकतम रुपये 300/– प्रति विद्यालय देय है।

(3.2) जेण्डर रिपोर्ट कार्ड एवं गार्गी मंच की उपलब्धियों का प्रदर्शन

नामांकन अभियान माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किया जायेगा, जिसके संचालन का नेतृत्व गार्गी मंच द्वारा किया जायेगा। उक्त अभियान के अन्तर्गत बालिका–संवेदी विद्यालय की संकल्पना को विद्यालय वॉल पर छात्र–छात्राओं के सहभागिता से वॉल–पेन्टिंग कर उकेरा जायेगा। विद्यार्थियों के मन में बालिका संवेदी जो अपेक्षा है, जैसा उनका सपनों का विद्यालय हो, ऐसा चित्र और संदेश को विद्यालय की दीवार पर बच्चों द्वारा शिक्षकों एवं सुगमकर्ता के सहयोग से बनाया जायेगा।

निर्धारित समयावधि में प्रभावी ढंग से संचालित किये जाने हेतु आपके द्वारा विद्यालय स्तर पर विद्यालय में वॉल पेन्टिंग हेतु रंगो एवं सहायक सामग्री के क्रय के कार्य को निम्नलिखित विवरणानुसार सम्पादित करवाया जाना है –

1. वॉल पेन्टिंग का संभावित (न्यूनतम) साइज
   - 1.1 6' X 8' फुट (बालिका संवेदी विद्यालय का चित्रण)
   - 1.2 4' X 6' फुट (शारदे बालिका छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं का अंकन)
2. रंगो का क्रय (उक्त साइज हेतु प्रत्येक विद्यालय हेतु) – एसएमडीसी अनुमोदन द्वारा

क्र. सं.	सामग्री का नाम	संभावित उपयोग	मात्रा/संख्या	आवंटित राशि
1	सफेद रंग (अच्छे ब्राण्ड का ऑयल पेन्ट)	विद्यालय दीवार पर बेस बनाने हेतु	1 लीटर	रुपये 300/–
2	कुल 7 रंग (1) सफेद, (2) काला, (3) लाल, (4) हरा, (5) नीला, (6) पीला।	सफेद बेस पर चित्र बनाने व रंगने हेतु	300 ml. – पावडी रंग या पिगमेन्टेशन रंग तथा 250 ml. – फेविकोल	रुपये 300/–
			100 ml.– डिस्टेम्पर या ऑयल रंग जैसे एपोक्स रंग	
3	रंग ब्रश व अन्य (1) सादा ब्रश (5–6 इंच चौड़ा) (2) 10 नम्बर ब्रश (3) 4 नम्बर ब्रश (4) 6 नम्बर ब्रश (5) 3 नम्बर ब्रश (6) 2 नम्बर ब्रश	 दीवार पर बेस रंग हेतु रंग भरने हेतु रंग भरने हेतु रंग भरने हेतु रंग भरने हेतु रंग भरने हेतु	 1 ब्रश 2 ब्रश 2 ब्रश 2 ब्रश 2 ब्रश 2 ब्रश	 रुपये 600/–
	रेगमाल/ सेन्डपेपर	दीवार रगड़ने हेतु	1 पेपर शीट	
	सूत धागा ढक्कन वाली बाल्टी(30–40 लीटर)	दीवार पर लाईन बनाने रंगों को बन्द कर रखना	1 रोल 1 बाल्टी	
	पारदर्शी डिब्बे (250 मिली)	सभी 7 रंगो को उपयोग करने के लिए	7 डिब्बे	
4	अन्य सहायक सामग्री का क्रय (1) 12 चार्ट पेपर (चार रंगों में) (2) एक पेपर रिम (3) रंगीन पेपर (1रिम) (4) 10 ग्लेज्ड पेपर (5) 20 स्केच पेन सेट (6 रंग) (6) ग्लिटर पेन (6 रंग) (7) 5 बड़ी फैंसी स्टिक	वॉल पेन्टिंग से पूर्व सभी बच्चों के साथ चर्चा एवं प्रारम्भिक कार्य हेतु	बिन्दु संख्या 4 के प्रथम कॉलम में अंकित विवरणानुसार।	रुपये 300/–

www.rajteachers.com

क्र. सं.	सामग्री का नाम	संभावित उपयोग	मात्रा / संख्या	आवंटित राशि
	(8) 1 बड़ा सैलो टेप पारदर्शी (9) 1 पेपर कैंची (10) Crayons (2 Set)		आवश्यकतानुसार	300

उक्त विवरणानुसार समस्त सामग्री का क्रय SDMC द्वारा नियमानुसार कर माह जनवरी 2018 में गतिविधि सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करावें।

वित्तीय प्रावधान:– इस गतिविधि के लिए उपरोक्तानुसार 1800/–रू. प्रति विद्यालय देय है।

(3.3) जेण्डर रिपोर्ट कार्ड एवं गार्गी मंच की उपलब्धियों का प्रदर्शन

सभी विद्यालय बालिकाओं की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हों, इस हेतु आवश्यक है कि वे तय पैरामीटर पर सभी विद्यालयों समय–समय पर स्वयं का आकलन करें और प्रभावशाली कदम उठायें। इस ओर स्व–आकलन हेतु प्रोत्साहित करने की दिशा में सभी विद्यालयों में **गार्गी मंच का प्रचार प्रसार किया जावे।**

Girls empowerment-special enrolment drive (Distt. Wise Alloted Schools)

BARMER		BIKANER		JAISALMER		JALORE		JODHPUR		NAGAUR		PALI		RAJSAMAND		SIROHI	
Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial
364	0.018	362	0.018	159	0.018	329	0.018	567	0.018	655	0.018	446	0.018	268	0.018	198	0.018
	10.15 (In Lakh)		6.52 (In Lakh)		2.86 (In Lakh)		5.92 (In Lakh)		10.21 (In Lakh)		11.79 (In Lakh)		8.03 (In Lakh)		4.82 (In Lakh)		3.56 (In Lakh)

नोट:– दिशा निर्देशानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– गार्गी मंच की गतिविधियाँ, जेण्डर रिपोर्ट कार्ड के इन्डीकेटर।

(सुरेश चन्द)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर

प्रतिलिपि:–

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप., जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप., जयपुर।
3. नियंत्रक वित्त, रामाशिप, जयपुर।
4. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (रमसा), समस्त को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार तत्काल गार्गी मंच का गठन करवाकर अनामांकित / ड्रॉपआउट बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा से जोड़ने हेतु विशेष प्रयत्न कर उनका नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करें।
5. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

- उक्त कार्यक्रम में अपने पंचायत/ब्लॉक/जिले से राजकीय विद्यालय से पढ़ कर कोई मुकाम हासिल करने वाली महिला को प्रेरणा–स्त्रोत/रोल–मॉडल के रूप में आमंत्रित करना।
- विभिन्न राजकीय/गैर–राजकीय क्षेत्रों से जुड़ी सक्रिय एवं प्रेरणा/हौसला देने वाली महिलाओं को आमंत्रित करना।

6. उक्त नामांकन अभियान का संचालन निम्नानुसार किया जायेगा –
- अभिभावकों की अधिकतम उपलब्धता के अनुसार समय का निर्धारण किया जाये।
- गार्गी मंच के सदस्य एवं सुगमकर्ता के अतिरिक्त, विद्यालय के शिक्षक एवं विद्यार्थी भी उक्त नामांकन अभियान में प्रतिभाग करेंगे।
  ध्यान दें कि जो बालिकाएं उस मजरे/क्षेत्र से दूर रहती हों, उसकी उसके घर के दूरी के मध्य की सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए, उसे इस कार्यक्रम में प्रतिभाग लेने हेतु बाध्य नहीं किया जाये। अतः बच्चों के सहभागिता हेतु चयनित स्थल से उनकी दूरी को भी मध्यनजर रखा जाये।
- समस्त बच्चे नामांकन हेतु प्रेरणा संदेश, स्लोगन आदि की तख्तियां बनाकर साथ ले जायेंगे।
- शिक्षक एवं बच्चे पूरे मजरे में भ्रमण करेंगे और स्लोगन व प्रेरणा गीत गायेंगे।
- समुदाय के किसी एक स्थान पर एकत्र होकर नामांकन एवं बालिका शिक्षा हेतु संदेश देंगे। इस हेतु गीत, कहानियां, नाटक आदि का प्रयोग किया जायेगा।
- उक्त नाटक, कहानियों, गीतों के तैयारी हेतु संस्थाप्रधान विद्यालय अथवा बाहर से किसी आर्टिस्ट की सहायता ले सकेगा। अथवा किसी कला–जत्था के आर्टिस्ट को आमंत्रित कर सकेगा। उक्त आर्टिस्ट को मानदेय न देकर सम्मानित किया जाये।
- कार्यक्रम की समाप्ति पर सरपंच, वार्ड सदस्य, एसडीएमसी के सदस्य, प्रधानाध्यापक एवं गार्गी मंच के सदस्यों द्वारा ड्रॉपआउट बालिकाओं की सूची–अनुसार एक–एक कर उनकी समस्याओं पर चर्चा हो और उसका निवारण हेतु तत्काल निर्णय लिये जायें।
- अभियान के माध्यम से नामांकित होने वाली बालिकाओं को स्कूल में जोड़े रखने हेतु विद्यालय स्तर पर लिये जाने वाले प्रयासों पर भी चर्चा साथ में की जाए।
- अन्त में समुदाय, अभिभावक, पंचायत सदस्य, छात्र–छात्राएं आदि सामूहिक शपथ लें कि वे अपने बच्चों को/मजरे के बच्चों को नियमित स्कूल भेजेंगे, अथवा स्वयं नियमित स्कूल आयेंगे और अन्यों को प्रोत्साहित करेंगे।
- किसी एक स्थान पर उक्त नामांकन अभियान हेतु कम से कम 2–3 घण्टे बिताये जायें।
- गार्गी मंच द्वारा नामांकित छात्राओं की सूची तैयार कर प्रदर्शित की जाये।

<u>2. उपस्थिति चार्ट (नियमित उपस्थिति हेतु प्रोत्साहन)</u>

यह गतिविधि बालिकाओं को नियमित स्कूल आने हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से की जायेगी। इसके अंतर्गत कक्षा के सभी बच्चों के नाम, चार्ट पर अंकित कर माहवार उपस्थिति दर्शायी जायेगी। माह के अंतिम कार्य दिवस पर, उस माह में 20 दिन या उससे अधिक दिन स्कूल आने वाले बच्चों को "हरा स्टार" दें। 15 से 19 दिन स्कूल आने वाले बच्चों को "पीला स्टार" दें। कक्षाध्यापक "हरा एवं पीला स्टार" पाने वाले बच्चों के लिए कक्षा/प्रार्थना स्थल पर तालियां बजवायें। यह भी महत्वपूर्ण है कि लगातार अनुपस्थित रहने वाली बालिकाओं को विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित रहने हेतु अभिभावकों से संपर्क कर अध्यापक/गार्गी मंच के सदस्य प्रेरित करें। गार्गी मंच के कक्षावार एक सखी एवं एक सखा अपनी कक्षा हेतु कक्षा अध्यापिका के सहयोग से उपस्थिति चार्ट बनायेंगे। चार्ट का निर्माण 01 अगस्त से आवश्यक रूप से शुरू कर दिया जाये जो कि वर्षपर्यन्त जारी रहेगी। इसमें गार्गी मंच की कक्षा प्रभारी अपनी कक्षा के बच्चों की उपस्थिति प्रत्येक माह अंकित करेंगी। इस हेतु चार्ट पेपर इत्यादि का क्रय गार्गी मंच की नियमित गतिविधियों हेतु निर्धारित राशि में से किया जा सकेगा।

www.rajteachers.com

सभी कक्षाध्यापक और प्रधानाध्यापक मंच के सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे कि उनकी भागीदारी से स्कूल में बच्चों की नियमित उपस्थिति में किस प्रकार का बदलाव आ रहा है और सत्र के प्रारम्भ एवं अन्त में बच्चों का तुलनात्मक ठहराव कितना रहा। जिला एवं राज्य स्तर से इसकी नियमित समीक्षा की जाएगी।

उपस्थिति चार्ट का प्रारूप

कक्षा– गार्गी मंच कक्षा प्रभारी (शाला सखी एवं शाला सखा) का नाम–

क्र. सं.	छात्र/छात्राओं का नाम	माह का नाम											
		अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नव.	दिस.	जन.	फरवरी	मार्च

3. सकारात्मक एवं नकारात्मक शब्दों की पहचान

सुगमकर्ता पहली बार इस खेल को खिलाये और खेल पश्चात अन्य समूहों में इसे खेले जाने के नियम और सावधानियों को समझाये। इस खेल में अपेक्षाकृत बड़े बच्चों को नेतृत्व करने का मौका दिया जाये।

गार्गी मंच दो समूहों में बंट जाये और एक खेल खेले। पहले समूह को ऐसे शब्दों को बोलने को कहा जाये जो किसी भी व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव डालता हो। इसी प्रकार दूसरे समूह को ऐसे शब्दों को बोलने को कहा जाये जो किसी भी व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव डालता हो। दूसरा समूह यदि प्रस्तावित शब्द से सहमत हो तो समूह के अपने शब्दों को चार्ट पेपर/कॉपी में लिख लें।

दोनों समूह को प्रस्तुति देने को कहा जाये और तब सुगमकर्ता सहयोग करे कि ऐसे कितने शब्द हम रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग में लाते हैं जो कि जेण्डर, जाति, रंग, शारीरिक रचना आदि से जुड़े हैं और हमें और हमारी सोच, हमारे सपनों को सकारात्मक/नकारात्मक तरीके से प्रभावित करती है।

4. खतरों की पहचान

गार्गी मंच के सदस्यों को सर्वप्रथम नजरी नक्शा के कॉन्सेप्ट पर समझाया जाये। इसके बाद पेपर या चार्ट पर अलग–अलग नक्शा बनाने को कहें –

- विद्यालय और विद्यालय के सभी महत्वपूर्ण स्थान जहाँ वे जाते हैं।
- घर से विद्यालय आने का रास्ता, रास्ते में आने वाले सब पोइन्ट जैसे खाली रास्ता, चाय/पान की दुकान, ढाबा, बस्ती, शराब का ठेका, आदि।
- मौहल्ले/गांव में सभी जगह जहाँ वे जाते हों।

अब उन्हें लाल और हरा रंग देकर कहें – जिन स्थानों पर उन्हें जाना अच्छा नहीं लगता उस पर लाल रंग से गोला बनायें और जिन स्थानों पर उन्हें जाना अच्छा लगता उस पर हरे रंग से गोला बनायें।

इसके बाद सुगमकर्ता सबसे चर्चा करे चिन्हित करे कि क्या संभावित कारण हैं जिससे वो स्थान उन्हें अच्छे नहीं लगते। **विशेष ध्यान दे कि किसी एक या दो बच्चों की स्थिति में पृथक से बात की जाये।** बच्चों को इसी प्रकार अपनी–अपनी कक्षा में सहपाठियों से मैप बनाने को कहा जाये। लाल रंग वाले स्थानों का अध्ययन सुगमकर्ता एवं संस्थाप्रधान करें और प्रभावित छात्रा–छात्र से पृथक से चर्चा करें।

उक्त गतिविधि पश्चात दूसरे चरण में उन व्यक्तियों के नाम चिन्हित करें जिन्हें बच्चे पसंद करते हैं या नापसंद। प्रभावित करने वाले कारणों को तलाशें और सुनिश्चित करें कि बच्चे किसी असहज स्थिति में नहीं हों। विद्यालय संबंधी कारणों का तत्काल समाधान किया जाये और पारिवारिक कारणों को काउन्सिलिंग अथवा पोलिस/बाल संरक्षण समिति की मदद से समाधान किया जाये।

www.rajteachers.com

जेण्डर रिपोर्ट कार्ड

इण्डीकेटर

1. विद्यालय परिक्षेत्र (panchayat area including elementary schools) में कुल बालिकाएं (जनगणना, पंचायत, शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार)
    - प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर
    - माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर
2. विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाएं।
    - प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर
    - माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर
3. ओपन स्कूल में नामांकित बालिकाएं – माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर।
4. कुल आउट ऑफ स्कूल बालिकाएं।
    - प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर
    - माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर
5. विद्यालय के कोहार्ट (सत्रवार बढ़ते क्रम में) नामांकन में फर्क –

कोहार्ट– सत्र 2010 में कक्षा 5 में नामांकित बालिकाओं में से कितनी बालिकाएं 2017 में कक्षा 12 में पहुंची।

- कक्षा 1 और कक्षा 5
- कक्षा 5 और कक्षा 8
- कक्षा 8 और कक्षा 10
- कक्षा 10 और कक्षा 12

6. 75 प्रतिशत से अधिक औसत उपस्थिति वाली बालिकाओं की संख्या
    - प्राथमिक स्तर पर
    - उच्च प्राथमिक स्तर पर
    - माध्यमिक स्तर पर
    - उच्च माध्यमिक स्तर पर
7. प्रारम्भिक से माध्यमिक में ट्रान्जिशन रेट।
8. उच्च माध्यमिक से महाविद्यालय में ट्रान्जिशन रेट।
9. कक्षा 8 में ग्रेड–ए के साथ उत्तीर्ण होने वाली कुल बालिकाओं का प्रतिशत।
10. कक्षा 10 एवं 12 में कुल उत्तीर्ण होने वाली बालिकाओं का प्रतिशत एवं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाली बालिकाओं का प्रतिशत।
11. विद्यालय में बाल विवाहित बालिकाओं एवं बालकों की संख्या।
12. विद्यालय में एनेमिक बालिकाओं की संख्या।

www.rajteachers.com